प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्तां एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2026**

विषय:- रबी 1433 फसली वर्ष 2025-26 में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु विभागीय मद में प्रणालीवार पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4151/आई0बी0/पुनर्विनियोजन/संशोधित/2025-26, दिनांक 05.01.2026 एवं शासनादेश संख्या-178/2025-622/25-27-सिं-9-37एसएवी/25, दिनांक 14.05.2025 एवं पुनर्विनियोग शासनादेश संख्या-56/26-27-सिं-9-37एसएवी/25, दिनांक 10.03.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पुनविर्निर्योग शासनादेश द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराये गये सिल्ट सफाई कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-94 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-2700 के अन्तर्गत रू0 2630.33 लाख एवं लेखाशीर्षक-2701 के अन्तर्गत रू0 164.60 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 2794.93 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

(1) विभाग जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। विभाग इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-178/2025-622/25-27-सिं-9-37एसएवी/25, दिनांक 14.05.2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2700051010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	094	2700051010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	7,64,36,000 (रुपये सात करोड़ चौंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)
	कुल			**7,64,36,000** **(रुपये सात करोड़ चौंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2700091010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2700091010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	12,83,54,000 (रुपये बारह करोड़ तिरासी लाख चौवन हजार मात्र)
	कुल			**12,83,54,000** **(रुपये बारह करोड़ तिरासी लाख चौवन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2700111010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2700111010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	4,55,12,000 (रुपये चार करोड़ पचपन लाख बारह हजार मात्र)
	कुल			**4,55,12,000** **(रुपये चार करोड़ पचपन लाख बारह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2700171010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2700171010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	1,27,31,000 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख इकतीस हजार मात्र)
	कुल			**1,27,31,000** **(रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख इकतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701141010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701141010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	8,44,000 (रुपये आठ लाख चौवालीस हजार मात्र)
	कुल			**8,44,000** **(रुपये आठ लाख चौवालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701371010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701371010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	23,73,000 (रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			**23,73,000** **(रुपये तेईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701381010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701381010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	4,51,000 (रुपये चार लाख इक्यावन हजार मात्र)
	कुल			**4,51,000** **(रुपये चार लाख इक्यावन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701461010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701461010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	15,30,000 (रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			**15,30,000** **(रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701511010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701511010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	1,00,53,000 (रुपये एक करोड़ तिरेपन हजार मात्र)
	कुल			**1,00,53,000** **(रुपये एक करोड़ तिरेपन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2701931010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701931010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	3,11,000 (रुपये तीन लाख ग्यारह हजार मात्र)
	कुल			**3,11,000** **(रुपये तीन लाख ग्यारह हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

लेखाशीर्ष: 2701951010304 (सिल्ट सफाई)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	094	2701951010304 सिल्ट सफाई	29 अनुरक्षण	8,98,000 (रुपये आठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
	कुल			**8,98,000** **(रुपये आठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र)**

महायोग	**27,94,93,000** **(रुपये सत्ताईस करोड़ चौरानबे लाख तिरानबे हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या-92/2026/001-266-26-27-सिं-9-37 एसएवी/25, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है